उत्तर प्रदेश सरकार
नगरीय रोजगार एवं गरीबी

संख्या-972/69-1-2002-4 एल/2001 उन्मूलन

उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग

लखनऊ: दिनाँक- 10 अप्रैल, 2002

अधिसूचना

सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सनिर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (अधिनियम संख्या 46 सन् 1993) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करे, राज्यपाल, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित राज्य सरकार के ऐसा करने के अभिप्राय की अधिसूचना संख्या 2195/69-1-2001-4 (एल) 2001, दिनांक 2 अगस्त, 2001 द्वारा सूचना देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट करते है कि उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्र के भीतर, जहां पर जल प्रवाहित शौचालयों के प्रयोग की पर्याप्त सुविधायें विद्यमान है, और जहां पर्यावरण और लोक स्वास्थ्य के संरक्षण और सुधार के लिये आवश्यक और समीचीन हैं, दिनांक 10 अप्रैल, 2002 से किसी व्यक्ति को, मानव विष्ठा को शारीरिक रूप से ढोने के लिये या शुष्क शौचालयों के निर्माण या अनुसरण में, न लगाया जायेगा या न ही इसके लिये नियोजित किया जायेगा या न तो लगाये जाने या नियोजित किये जाने की अनुज्ञा दी जायेगी।

आज्ञा से,
एस. आर. लाखा
सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN
Nagariya Rojggar Evam Garibi Unmulan Karyakram Anubhag

In pursuance of the provisions of clause (3) of artile 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 972/69/-1-2002-4(L)2001 dated 10th April, 2002.

Notification

No. 989/69-1-2002-4(L) 2001
Dated Lucknow, 10 April, 2002

In exrcise of the powers under subsection (1) of section 3 of the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 (Act no. 46 of 1993), the governor, afer giving notice of the intention of the State Government so to do by notification no. 2195/69-1-2001-4(L)2001 dated August 2, 2001 as required under sub-section (2) of the said section, is pleased to sepcify that with effect from 10th April, 2002 no person shall engage in or employ for or permit to be engaged in or employed for manually carrying human exerete or construct or maintain dry latrine within the area of the whole of Uttar Pradeshwhere adequate facilities for the use of water seal latrines exist and wherein it is necessary and expadient to do so for the protection and improvement of the environment and public health.

By Order,

(S.R. Lakha)

Secretary

उत्तर प्रदेश सरकार
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
कार्यक्रम अनुभाग 1

संख्या-1049/69-1-02-4 (एल)/2001

लखनऊ दिनांक 16 अप्रैल, 2002

अधिसूचना विज्ञप्ति संख्या : 972/69-1-2002-4(एल)/2001 दिनांक 10-4-2002 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0 को अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया राजपत्र के अगले अंक में उक्त अधिसूचना प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4- समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।

5- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली।

6- सचिव, मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।

7- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।

8- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।

9- महानिदेशक, पुलिस, उ0प्र0/समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।

10- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

11- समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण।

12- समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका उ0प्र0।

13- समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं टाउन एरिया।

14- आयुक्त, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगर, लखनऊ।

15- आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, उ0प्र0, लखनऊ।

16- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, उ0प्र0।

17- समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।

18- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राम किशोर
अनु सचिव